संख्या-63/2015/1845/नौ-5-2015-203बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सिरसागंज-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 23 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में सड़क सुधार के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-516/एम0बी0एस0/2014-15 दिनांक 22.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **₹ 168.30** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि **₹ 84.15 (₹ चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(₹ धनराशि लाख में)

निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
नगर पालिका परिषद, सिरसागंज-फिरोजाबाद	1. करहल रोड पर कृष्णानगर एवं अर्जुनपुर रोड की उत्तर साइड की आन्तरिक गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	24.14	
	2. करहल रोड पर कृष्णानगर एवं अर्जुनपुर रोड की दक्षिण साइड की आन्तरिक गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	24.25	
	3. मो0 गडरियान टोला में इस्लामिया स्कूल वाली गली में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	21.15	
	4. वार्ड नं.23 पैगूरोड पर विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	24.40	
	5. वार्ड नं.15 कुन्जपुरा रोड पर विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	24.62	
	6. मैनरोड पर अनीतालय मैरिज होम के पास लक्ष्मीनरायण धर्मशाला के आगे एवं पीछे इटावा रोड तक तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	24.92	
	7. वार्ड नं.15 कुशवाह नगर में विभिन्न गलियों में मकान तक इंटरलाकिंग सड़क	24.82	

निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
	निर्माण कार्य		
	योग	168.30	84.15

(₹ चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय सामान्य-09-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-63/2015/1845(1)/नौ-5-2015-203बजट/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-23/03/2015

प्रेषण संख्या:- 63-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-63-2015-1845-9-5-2015-203Budget-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

800 - अन्य व्यय

09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	8415000	8415000
		प्रगामी	64916000	64916000
	योग	वर्तमान	8415000	8415000
		प्रगामी	64916000	64916000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरासी लाख पन्द्रह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ उनचास लाख सोलह हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव